

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजरव, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

सन्दीप कुमार पुत्र भूपतिह
जाति जाट निवासी गोवासा
दावा बाबत :- 88 RTAए
मुकदमा नम्बर :- 23/21
निर्णय दिनांक :- 03.11.21

बनाम 1. भूपतिह पुत्र मोहन सिंह जाति जाट
2. पुनम पुत्री भूपतिह जाति जाट
3. PNB शाखा भादरा
4. राजबान मरनार जति TDR
याचना

वादी की ओर से वकील मुन्नीराम गोखामी की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील सुरजीत किलारजी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.11.21 को

शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश

दिया जाता है कि दी मोजा चड 1 BMD के खाता नं० 129/115 के मु०

82 कितानं 16, 17, 24, 25, 83 कितानं 15 ता 25 मु० नं० 88

कितानं 20, 21, मु० नं० 89 कितानं 11, 12, 16 ता 25 मु० नं० 92

कितानं 4, 5 कुत नं० 66 है व चड 2 BMD के खाता नं०

105/93 मु० नं० कितानं 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 21, मु० नं० 6

कितानं 1, 10 मु० नं० 7 कितानं 5, 6 कुत 3.517 है खातेदारी

में प्रतिवारी नं० 1 के नाम 1/6 हिस्सा राजार रिजर्व में दर्ज है,

में हटा प्रतिवारी नं० 1 की बजाय वारी सन्दीप कुमार व

प्रतिवारी नं० 1 भूपतिह को वरिष्ठा बराबर के खातेदारी

आश्चर्य घोषित किए जाते व प्रतिवारी नं० 2 इनमें ने

अपना दू हिस्सा वारी व प्रतिवारी नं० के पत्र में व्याज न


शुल्क न सिर्फ है हमसिंह व्याज किए हिस्से पर निष्पान्तुता

होम्य दुपरी अहा अने व बैर रदन है हो रदन मुक हीने

उमरोमहाकुमार राजार रिजर्व में अंकन किए जाते।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़